

स्व सहायता समूह लघु ऋण एवं ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एक विशेष अध्ययन विकासखण्ड गीदम जिला दंतेवाड़ा

डॉ. देवाशीष हालदार¹

सहायक प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग

शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय

कोण्डागांव (छ.ग)

रोशनी धार²

शोधार्थी

अर्थशास्त्र विभाग

शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय

कोण्डागांव (छ.ग)

सारांश

स्व सहायता समूह ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं में आत्म विश्वास बढ़ा है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई है तथा सामाजिक सहभागिता में वृद्धि हुई है। स्व सहायता समूह 10-20 लोगों द्वारा बनाया गया एक स्वैच्छिक संगठन है जिससे सम्मिलित होकर महिलाएं छोटी-छोटी बचत करके बैंक से जुड़कर सुक्ष्म ऋण प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के सुक्ष्म उद्योग स्थापित करके आत्म-निर्भर बन रही हैं। ग्रामीण महिलाएं स्व सहायता समूह द्वारा चलाई जाने वाली सभी प्रमुख गतिविधियां जैसे बचत, ऋण प्राप्ति, आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण व रोजगार आदि आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तथा समूह के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य परिवारिक समस्याओं का समाधान कुशलतापूर्वक कर रही हैं जिससे समाज में उन्हें नई पहचान मिल रही है। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक दृष्टि से सद्बृह होना है। ग्रामीण गरीब महिलाओं एवं स्व सहायता समूहों को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बनाने के लिए वित्तीय समावेशन के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लखपति महिला पहल महिला स्व सहायता समूह सदस्य की वार्षिक आय को 1 लाख से अधिक या मासिक आय कम से कम 10 हजार तक की कम से कम कृषि मौसमों या चार व्यावसायिक चक्रों तक बनाये रखने के लिये विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियाँ (जैसे कृषि, लघुवनोपज, औषधि-पौधे उत्पादन, गैर कृषि गतिविधियाँ, उद्यमिता विकास, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, पशुधन, लघु उद्यम एवं कौशल प्रशिक्षण इत्यादि) को समेकित किया जाना है। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि स्व सहायता समूह बनने के बाद तथा सदस्य बनने के बाद महिलाओं की सामाजिक पूंजी में वृद्धि हुई है इस शोध पेपर में महिलाओं की आर्थिक जीवन स्तर का अध्ययन किया जायेगा

शब्द कुंजी:- स्व सहायता समूह, लघु ऋण, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, आजीविका

1 प्रस्तावना:- भारत में ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूह एक प्रभावी रणनीति के रूप में उभरे हैं। महिला, स्व सहायता समूह का एक अंग है महिला स्व सहायता समूह छोटे समूह है जो समान आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं से बनी होती है ये समूह बचत व ऋण के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं महिला स्व सहायता समूह महिलाओं को लघु ऋण प्रदान करता है लघु ऋण

से महिलाओं को अपने व्यवसाय को शुरू करने या बढ़ाने में मदद मिल सकती है। स्वयं सहायता समूह छोटे, समुदाय-आधारित संगठन है। जहां सदस्य आपसी आर्थिक सहायता के लिए अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं। अक्सर बचत और ऋण गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ये समूह हाशिये पर रहने वाले महिला समुदायों को सशक्त बनाने, लघु ऋण छोटे-छोटे व्यवसायों या उन व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक बैंकिंग सेवा के रूप में कार्य करता है जिसके पास धन की कमी है। जो उचित रूप से बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं लघु ऋण जरूरतमंद लोगों को, उधारकर्ताओं को या तत्काल जरूरतों के लिए लघु ऋण प्रदान करता है। भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रायोजित लघु ऋण कार्यक्रम को विश्व का सबसे बड़ा लघु ऋण कार्यक्रम कहा जा सकता है ऋण स्रोत के रूप में लघु ऋण को वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों गरीबी और महिला सशक्तिकरण के साधनों के रूप में देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाओं की घर पहुंच सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 3,775 बी.सी. सखियों की स्थापना की गई है। इन बी.सी. सखियों के माध्यम से ग्राम पर ग्रामीण को उनके बैंक खातों से राशि का आहरण, बचत खातों में हस्तांतरण, सुक्ष्म बीमा एवं पेंशन आदि बैंकिंग सुविधा प्रदाय की जा रही है। तथा लखपति महिला पहल योजना जिससे महिला स्व सहायता समूह के सदस्य की वार्षिक आय को रुपये 1 लाख से अधिक या मासिक आय कम से कम 10 हजार तक की कम से कम कृषि मौसमों या चार व्यावसायिक चक्रों तक बनाये रखने के लिये विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियाँ (जैसे कृषि, लघुवनोपज, औषधि-पौधे उत्पादन, गैर कृषि गतिविधियाँ, उद्यमिता विकास, क्लस्टर डेवेलपमेंट, पशुधन, लघु उद्यम एवं कौशल प्रशिक्षण इत्यादि) को समेकित किया जाना है

स्वयं सहायता समूह का आरंभ बांग्लादेश के अर्थशास्त्री प्रो. मोहम्मद युनुस के द्वारा 1986 में की गई थी। इन्होंने बांग्लादेश की गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया और यह सफलतापूर्वक कार्य भी कर रही है। स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई गई। लेकिन भारत में वास्तविक प्रयास 1991-92 के बाद किया गया। हालांकि भारत के तमिलनाडु में 1992 से शुरू किया गया जबकि आज भारत समेत विश्व के 29 देशों में स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहा है। भारत में स्वयं सहायता समूह की विचारधारा को सरकार द्वारा कई योजनाओं से जोड़ा गया जिसमें मुख्य रूप से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, जिसका लक्ष्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह भारत में प्रारंभ करने के लिए नेशनल काँफ्रेंस में जून 2001 में निर्णय लिया गया था और प्रत्येक गांव में एक स्वयं सहायता समूह संचालित किए जाने पर विशेष रूप से जोर दिया गया था।

स्व सहायता समूहों की क्रियाशीलता हेतु पंच सूत्र का पालन अनिवार्य:-

पंचसूत्र

1. नियमित बैठक
2. नियमित बचत
3. नियमित आंतरिक लेन-देन
4. नियमित ऋण-वापस
5. नियमित दस्तावेज संधारण

स्व सहायता समूह का संचालन:- एक समूह में आमतौर पर 10-20 सदस्य होते हैं यह सभी समान आर्थिक स्थिति वाले होते हैं। समूह के कार्यों के संचालन के लिए सदस्यों में से ही 2-3 पदाधिकारियों का चयन किया जाता है जिसमें अध्यक्ष, सचिव, और कोषाध्यक्ष होते हैं इन पदाधिकारियों को चुनने का आधार मुख्यतः शिक्षा तथा आत्म-विश्वास होता

हैं ताकि समूह का हिसाब किताब का काम ये स्वयं कर सके। यह एक स्वैच्छिक संस्था है जो स्वेच्छा से एक साथ मिलकर बनाई जाती है समूह का एक विशिष्ट नाम और साझा खाता होता है समूह के सदस्य साप्ताहिक या मासिक बैठक करते हैं समूह के बैठक में प्रत्येक सदस्य को उपस्थित होना अनिवार्य होता है मिटिंग के दौरान प्रायः महिलाओं द्वारा आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा होती है जैसे बचत, ऋण, लेनदेन, सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है सदस्य अपनी क्षमता अनुसार 50-100 रुपये तक नियमित बचत करते हैं समूह अपने सदस्यों को सामूहिक निर्णय के अनुसार कम ब्याज दर पर लघु ऋण प्रदान करता है जिससे साहूकारों से मुक्ति मिल सके। 1-2 वर्षों तक सफलता पूर्वक बचत और ऋण संचालन करने के बाद समूह को बैंक से ऋण मिलने की पात्रता हो जाती है। इस प्रकार महिलायें समूह में आपस में लेनदेन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, और आत्मनिर्भर बन जाती हैं

अध्ययन का उद्देश्य:-

प्रस्तुत अध्ययन का निम्नलिखित उद्देश्य है।

1. स्व सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन करना।
2. लघु ऋण का महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव जानना।
3. स्व सहायता समूह के महिलाओं की आय बचत एवं सामाजिक सहभागिता के माध्यम से सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का अध्ययन करना।

- **शोध प्रविधि:-** प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु दंतेवाड़ा जिला का चुनाव किया गया है यह अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़े स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े दंतेवाड़ा जिले के स्व सहायता समूह के योगदान से संबन्धित प्रकाशित अप्रकाशित, पुस्तको, शोध-पत्र पत्रिकाओं आदि से एकत्र कर प्रयोग किये गये हैं।

2. साहित्य की समीक्षा:-

- सी.एस.रेड्डी (2005) ने अपने अध्ययन में पाया कि आंध्रप्रदेश के 400 स्वसहायता समूह बैंक लिकं जो समूह का चुनाव कर शोध करने पर यह पाया कि स्व सहायता समूह के सदस्यों का जीने स्तर बदल गया है उनमें कर्ज वापसी दर उच्च है। एस.एच.जी.ने न केवल अपने समूह के सदस्यों को मजबूत बनाया है बल्कि वह राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई स्वसहायता समूह महिलाओं को सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ रहा है किंतु राजनीति में महिलाओं की निम्न सहभागिता रही है। लेकिन जो भी गयी उसमें महिलाओं ने चुनाव जीता, साथ ही राशन कार्ड का मामला, पक्की रोड, स्कूल भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वच्छ पीने का पानी, आदि पर महिलाओं ने उपयोगी काम किए। समूह के सदस्यों को चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक मदद की। सामाजिक सरलता के प्रमाण भी मिले हैं। अतः समूहों के सदस्यों के जीवन स्तर में प्रभावी सुधार पाया गया। और प्रगति की ओर अग्रसर हुए हैं।
- जॉन जोसेफ , सैंटियागो (2007) के अनुसार स्व सहायता समूह के द्वारा से महिलाओं का विभिन्न कार्यों में सक्रिय विशिष्टाकर लघुवित्तीय कार्यक्रम में एवं उसके सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण के प्रभाव को मालूम करने के लिए एस.एच.जी. में आने से पहले व एस.एच.जी. के आने के बाद का विश्लेषण करने पर पाया कि गांव की महिलाओं के समूह में आने के बाद बचत में बढ़ोतरी, आय में बढ़ोतरी, संपत्ति का निर्माण, उपभोग में बढ़ोतरी व साथ ही साथ महिलाओं के सोच-विचार व व्यवहार में वाकई परिवर्तन देखने मिला महिलाओं का न केवल पारिवारिक बल्कि सामुदायिक सशक्तीकरण भी हुआ है।
- बी.बी. मनसूरी (2010) इनके अनुसार विगत वर्ष में माइक्रो फायनेंस ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। भारत का स्वसहायता समूह बैंक लिकेज कार्यक्रम यह प्रमुख कार्यक्रम है जिसके द्वारा स्वसहायता समूहों

को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें विकसित करने का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। भारत में महिलाओं की निम्न आर्थिक दशा और गरीबी की समस्या को इस माँडल के द्वारा सफलता पूर्वक समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। इस माइक्रो फायनेंस इन्स्टीट्यूशनल माँडल का नाम दिया गया है। यह कार्यक्रम महिलाओं को समाज की मुख्य धारामें जोड़ने का कार्य भी कर रहा है। छाठात्क कार्यक्रम की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लेखक ने महिलाओं एवं माइक्रो फायनेंस की भूमिका पर अपने प्रस्तुत किये हैं।

- सुभाष शर्मा (2010) छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ से ग्राम पंचायतों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिये जाने से उनके राजनैतिक नतृत्व में वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में जन-जागरूकता बढ़ने से उनमें आत्मनिर्भरता की वृद्धि हुई है। लघु व कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनमें राज्य व केंद्र सरकार की अनेक कल्याणकारी व रोजगार मूल के योजनाओं से लाभ लेने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। जिसमें स्व-सहायता समूह भी एक महत्वपूर्ण योजना व कार्यक्रम है।
- कृष्णन, सी. (2011) ने वित्तीय समावेशन में महिलाओं और उनके स्वसहायता समूहों को शामिल कर अध्ययन किया। इन समूहों के आर्थिक आधार पर प्रशिक्षण, सूचना प्रसारण, ऑन साइट सहयोग आदि द्वारा एक या अधिक क्षेत्रों (पुस्तक संभालने, लेखा मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन, वकालत, बैंक संपर्क, सरकारी योजनाओं से संपर्क करना) में स्वसहायता समूहों के सदस्यों की क्षमता बढ़ाना। ऋण उपलब्ध करवाना विशेषकर मल्टिपल क्रेडिट लाइंस। बचत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, विशेष तौर पर स्वैच्छिक बचत का महत्वपूर्ण पाया। स्वसहायता समूहों के सदस्यों के उत्पादों को मार्केटिंग को संभालना। जीवन/ऋण बीमा सेवाएं उपलब्ध करवाना। स्वसहायता समूहों के सदस्यों को कर्मचारी सहयोग उपलब्ध करवाना भी इन संस्थाओं को वित्तीय समावेशन हेतु प्रेरित करता है
- मथाली एस., आई. विजयरानी के (2012) ने अपने अध्ययन में तमिलनाडू की महिला सशक्तिकरण योजनाओं का विस्तार से अध्ययन कर पाया कि सामूहिक रूप से आगे बढ़ने और विकास करने के उद्देश्य से स्वसहायता समूहों के गठन की अवधारणा का विस्तार हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबों में से भी सबसे ज्यादा गरीब लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर और सहूलियतें मुहैया कराने के लिए स्वसहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास की नई पहल की जा रही है।
- श्रवण कुमार (2012) ने अपने अध्ययन में भारतीय महिला स्वसहायता समूहों के सदस्यों पर वित्तीय प्रशिक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया तथा पाया कि इसका गरीब वर्ग पर दीर्घकालीन एवं सार्थक प्रभाव प्राप्त हुआ है। स्वसहायता एवं सूक्ष्म ऋण के सिद्धांत को भारत में आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता की चाबी माना जा सकता है।
- अजीत बोरा (2014) के अनुसार स्वसहायता समूह महिलाओं का ऐसा छोटा समूह है जो आर्थिक गतिविधियों से आजीविका का साधन इकट्ठा करता है। ग्राम पंचायत स्तर के अध्ययन में उन्होंने पाया कि ब्लाक में महिलाओं के समूहों ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। समूहों द्वारा सदस्य महिलाओं को प्राप्त होने वाले ऋण के कारण उनके विकास को गति मिली है। वैश्वीकरण और निजीकरण के इस बदलते परिवेश में महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।
- आशीष कुमार (2014) उद्यमशीलता के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास एक अन्वेषणात्मक अध्ययन उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में किया और पाया कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की भूमिका सराहनीय है, जो विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने में तत्पर एवं ग्रामीण भारत की रीढ़ कहे जानेवाले ये उद्योग विभिन्न स्रोतों में विद्यमान जिनको आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर विकसित किया जा रहा है। जो गांवों में प्रत्येक स्तर पर ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने में अग्रसर हैं।

- **कु. निशा (2016)** अपने अध्ययन छत्तीसगढ़ में जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास में स्व सहायता समूह का योगदान पर बताया है कि भारत में स्व सहायता समूह की अवधारणा की संकल्पना स्वर्ण जयंती ग्राम स्व रोजगार योजनाओं में समाहित है। आजादी के बाद हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के बहुत से कार्यक्रम चलाए गए लेकिन इन कार्यक्रमों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए क्योंकि इन कार्यक्रमों में गरीबों की अपनी कोई निर्णायक भूमिका नहीं रही। परिणामों के आधार पर माना गया कि गरीबों को वित्तीय सहायता देने के साथ साथ यह आवश्यक है कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए सशक्तिकरण के साधन प्रदान किये जायें।
- **कुमेट्टी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, डॉ. भारती (2018)** छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूह- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म वित्त की प्रवृत्ति एवं ग्रामीण विकास का अध्ययन कर पाया कि लघु वित्त संस्थाओं ने पारंपरिक बैंकिंग तंत्र द्वारा वंचित ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के प्रति एक साझा वचन बद्धता व्यक्त की है। मांग की कुशलता पूर्वक पूर्ति करना तथा ग्राहकों को सरलता से समझ आने वाली सेवाएं उपलब्ध करना ही लघु वित्त की सफलता की कुंजी है। इसी आधार पर बांग्लादेश, बोलिविया, इंडोनेशिया जैसे देशों में कार्यरत संस्थाओं ने सिद्ध कर दिया कि गरीबों को मांग आधारित वित्तीय सेवाएं प्रदान कर गरीबी के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सकती है। आजादी के बाद भारत के सामने जो चुनौतियां थी उनमें 74 सबसे बड़ी चुनौती थी ग्रामीणों के आधारभूत जीवन स्तर में सुधार के लिए उन्हें आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराना। पिछले कुछ समय से ग्रामीण भारत में लघु ऋण कार्यक्रम के रूप में स्वयं सहायता समूह प्रचलित हुए हैं। इन स्वयं सहायता समूहों की खासियत यह है कि इनमें से लगभग 92 प्रतिशत समूहों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण विकास की सहायता से गरीबी उन्मूलन के साथ महिला सशक्तिकरण का भी कार्य कर रहे हैं।
- **विनिता गौतम (2019)** ने अपने शोध अध्ययन में बताया है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2011-12 के केन्द्रीय बजट में की गई घोषणा के बाद भारत सरकार के साथ मिलकर मार्च-अप्रैल 2012 से भारत के पिछड़े और वामपंथी अतिवाद प्रभावित 150 जिलों में महिला स्व-सहायता समूह की संवर्धन योजना कार्यान्वित की जा रही है, योजना का लक्ष्य एजेंसी की सहायता से इन जिलों में लाभप्रद और आत्मनिर्भर महिला स्व-सहायता समूह ष्ठ बनाना है। एजेंसी इन समूहों को संवर्धित करती है और उन्हें बैंक से ऋण दिलवाती है। उनका निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग करते हुए ऋण चुकाने की जिम्मेदारी भी लेती है। योजना अन्तर्गत काम करने के अलावा एजेंसी से यह भी अपेक्षा है कि वह नोडल कार्यान्वयनकर्ता बैंको के लिए बैंकिंग/व्यवसाय सहायक के रूप में कार्य करें।
- **विमला देवी(2020)** ने अपने शोध पत्र में ग्रामीण महिलाओं के सशक्त विकास में स्वयं सहायता समूह के योगदान पर प्रकाश डाला है इस शोध पत्र पर ग्रामीण महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने में नेतृत्व गुणों का विकास करने वाला सफल माध्यम बन गया है। समूह के माध्यम से महिलाएँ संगठित होकर सामाजिक बुराईयाँ जैसे घरेलू हिंसा, लैंगिक भेद-भाव, भ्रूण हत्या, आदि बुराईयों का विरोध कर रही हैं।
- **सूर्या राठौर, एवं डॉ मनमीत कौर 2020** - ने अपने शोध पत्र स्वयं सहायता समूह: महिला सशक्तिकरण एक सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति लिए स्वैच्छिक रूप से एक हुए व्यक्तियों का समूह है। जो सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठ भूमि में अथवा पारंपरिक व्यवसाय की दृष्टि से समरूप हो। यह समूह महिलाओं व पुरुषों के अलग-अलग अथवा अपवाद स्वरूप मिश्रित हो सकते हैं।
- **कुमारी सपना (2021)** :- स्व सहायता समूह द्वारा चलाई जानेवाली सभी प्रमुख गतिविधियाँ जैसे बचत, ऋण, प्राप्ति आय अर्जन हेतु प्रशिक्षण व रोजगार आदि आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हैं। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक दृष्टि से सृष्ट होना है। जो उनमें स्वावलम्बन और आत्म-विश्वास की भावना उत्पन्न करता है।

- **डा. अर्चना सेठी, ओमप्रकाश वर्मा (2022)** ने अपने अध्ययन में छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का अध्ययन किया है। कि वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने अपने मेहनत और लगन के बल पर यह साबित कर दिया कि स्व सहायता समूह से जुड़कर एक नया मुकाम हासिल किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में छत्तीसगढ़ के दुर्ग व राजनांदगांव जिले के स्व सहायता समूह का महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव एवं संतुष्टि का अध्ययन किया गया है। स्व सहायता समूह का कार्य ,स्व सहायता समूह का निर्माण अवधि ,स्व सहायता समूह का आकार, या सदस्यों की संख्या, सदस्यों की शिक्षा, समूह द्वारा दिये गये ऋण का आकार समूह द्वारा दिये गये ऋण का ब्याज दर, बचत आदि आय को धनात्मक रूप से प्रभावित कर रहे
- **डा. ए. के. श्रीवास्तव (2022)** भारत में स्वयं सहायता समूह अपेक्षाकृत नया प्रयोग है लेकिन पिछले वर्षों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आँकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो सर्वाधिक वृद्धि आन्ध्र प्रदेश में हुई है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं का ऐसा अनौपचारिक समूह है जो अपनी बचत तथा बैंकों के सूक्ष्म वित्तीयन से अपने समूह के पारिवारिक व व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करता है और विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी जैसे अभिशाप को दूर करने तथा महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रायः स्वयं सहायता समूह एकजुटता का प्रतीक होते हैं। यहाँ एक जैसी ही आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लोग साथ आते हैं।
- **अनिता (2023)** इस शोध से यह निष्कर्ष के रूप में पाया गया कि स्व सहायता समूह ज्यादातर लाभार्थी को छोटी-छोटी किशतों में ऋण देती है न कि एकमुस्त क्योंकि ऐसा करने से सही मायने में जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया जाता है। उसी एवज में खर्च करने की संभावना रहती है। इस तरह की ऋण लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक पाई जो लगभग 63.3 प्रतिशत व्यक्ति थे। काफी अधिक जनसंख्या में लोग स्व सहायता समूह से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तथा लोगों में बचत क्षमता अधिक होने के कारण बैंकों द्वारा भी अच्छा सहयोग मिला है।

3. अध्ययन का क्षेत्र एवं आँकड़ों का विश्लेषण:- दंतेवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। जिसका निर्माण 1998 में हुआ था यह बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है इस जिले का क्षेत्रफल 3,410.50 वर्ग कि.मी है इस जिले में 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 283,479 है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 140,094 व महिलाओं की जनसंख्या 143,385 है लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 1025 महिलाएं हैं साक्षरता दर 42.12 है। स्वयं के द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर अनुसूची व साक्षात्कार विधियों के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये जिसमें से 150 महिलाओं को लेकर के शोध कार्य पूरा किया अध्ययन के दौरान जो आंकड़े एकत्रित किये गये वे निम्नानुसार हैं।

तालिका क्रमांक 1

महिलाओं के आयु के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	आयु वर्ग (वर्ष में)	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	18 से 30 वर्ष	25	16.6
2	31 से 50 वर्ष	105	70.
3	50 वर्ष से अधिक	20	13.3
	योग	150	99.9

उपर्युक्त तालिका चयनित समूहों के सदस्यों की आयु को दर्शाती है, कि सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि चयनित समूहों में 16.6 प्रतिशत की आयु 18 से 30 वर्ष बीच थी। और 70 प्रतिशत सदस्यों की आयु 31 से 50 वर्ष के बीच पायी गयी। तथा 13.3 प्रतिशत सदस्यों की आयु 50 वर्ष से अधिक थी।

तालिका क्रमांक 2

स्व सहायता समूह में जुड़ी महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति

क्र.	शिक्षा का स्तर	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	33	22.0
2	प्राथमिक	50	33.3
3	माध्यमिक	27	18
4	हाईस्कूल/हाई सेकेन्डरी	30	20
5	स्नातक/स्नातकोत्तर	10	6.6
	योग	150	99.9

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित महिलाओं में सर्वाधिक 33.3 प्रतिशत महिलाएं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं 18 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त, तथा 20 प्रतिशत हाईस्कूल/हाईसेकेन्डरी स्कूल और 6.6 प्रतिशत स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्राप्त हैं जबकि अशिक्षित महिलाओं का प्रतिशत 22. प्रतिशत है।

तालिका क्रमांक 3

महिलाओं की मासिक बचत के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	मासिक रुपये में	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	100-200	66	44.
2	200-500	45	30.
3	1000-1500	39	26.
	योग	150	100

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक 44 प्रतिशत महिलाओं की मासिक बचत 100-200 तक है इसी प्रकार 30 प्रतिशत महिलाओं का मासिक बचत 200-300 तक है। तथा 26 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय 1000-1500 तक है।

तालिका क्रमांक 4

स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं।

क्र.	स्थिति	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	हां	140	93.3
2	नहीं	10	6.6
	योग	150	99.9

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 93.3 प्रतिशत महिलाएं सहमत हैं कि स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है और वहीं 6.6 प्रतिशत महिलाएं सहमत नहीं हैं कि स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है।

तालिका क्रं 5

स्व सहायता समूह का सदस्य बनने पर ग्रामीण महिलाएं आत्म-निर्भर बन जाती हैं

क्र.	स्थिति	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	हां	124	82.6
2	नहीं	26	17.3
	योग	150	99.9

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 82.6 प्रतिशत महिलाएं यह मानती हैं कि स्व सहायता समूह का सदस्य बनने पर महिलाएं आत्म-निर्भर बन जाती हैं। जबकि 17.3 प्रतिशत महिलाएं यह नहीं मानती हैं कि स्व सहायता समूह का सदस्य बनने पर महिलाएं आत्म-निर्भर बन जाती हैं।

तालिका 6

स्व सहायता समूह में सदस्यता लेने के पश्चात् आय में वृद्धि

क्र.	स्थिति	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	हां	128	85.3
2	नहीं	22	14.6
	योग	150	99.9

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 85.3 प्रतिशत महिलाएं का यह कहना है कि स्व सहायता समूह की सदस्यता लेने के पश्चात् हमारी आय में वृद्धि हुई है पड़ोस से उधार लेने ब्याज में पैसे लेने से मुक्ति मिली तथा 14.6 प्रतिशत महिलाओं का यह कहना है कि स्व सहायता समूह की सदस्यता लेने के पश्चात् भी हमारी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है, एवं उधार लेने से कोई मुक्ति नहीं मिली है।

तालिका 7

स्व सहायता समूह से जुड़ने का कारण

क्र.	स्थिति	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	ऋण हेतु	45	30
2	बचत हेतु	65	43.3
3	सामाजिक स्तर वृद्धि	40	26.6
4	योग	150	99.9

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 30 प्रतिशत महिलाएं ऋण प्राप्त करने हेतु स्व सहायता समूह में जुड़े हैं। जबकि 43.3 प्रतिशत महिलाएं बचत करने हेतु स्व सहायता समूह से जुड़े हैं और 26.6 प्रतिशत महिलाएं सामाजिक स्तर में वृद्धि के कारण स्व सहायता समूह में जुड़ी हैं।

4.ग्रामीण महिला सशक्तिकरण:- भारत में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति मिली जुली है। कुछ ग्रामीण महिलाओं का अपनी स्थिति पर नियंत्रण है तो कुछ ग्रामीण महिलाएं काफी हद तक अपने पति, पिता अथवा भाइयों पर आश्रित होती हैं, बहुत सी स्त्रियां ऐसी भी हैं, जिनको विचार तक व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता नहीं है। आगे बढ़ें तो बहुत सी ऐसी ग्रामीण महिलाएं भी मिल जावेगी जो अकेली ही घर-गृहस्थी की गाड़ी चलाती हैं और यह इसलिए नहीं कि वे अपने पति के द्वारा त्याग दी गई अथवा विधवा हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पति उनसे इसी की अपेक्षा रखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में यह आम बात है। यह तथ्य कि पिछले छह वर्षों के अन्तराल में ही भारत की आबादी दस करोड़ बढ़ गई। वर्ष 2011 को अधिकारिक तौर पर यह आँकड़ा एक अरब 25 लाख के उपर पहुँच गया, फिर भी यह किसी मन में निराशा उत्पन्न नहीं करता। देश का जनसंख्या नियंत्रण बजट जो एक समय मात्र 65 लाख

रूपयें था, अब बढ़कर 3520 करोड़ रुपये हो गया है। आज ग्रामीण महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है, ताकि संतति नियंत्रण में उन्हें सही चुनाव का अवसर मिल सके। शिक्षा अभियान और साक्षरता आन्दोलनों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सीमित परिवार के प्रति अधिक जागरूक बनाया जा सकता है। इस समस्या का समाधान नौकरियाँ ग्रामीण महिलाओं तक ले जाना भले ही न हो, लेकिन यदि घर के पास ही रोजगार के पर्याप्त अवसरों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा उनके लिए एक निश्चित आमदनी की व्यवस्था कर दी जाए तो उनका बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्व सहायता समूहों तथा स्व रोजगार योजनाओं के माध्यम से अनेक ग्रामीण महिलायें आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध हो सकती हैं।

5. शोध का परिणाम:-

शोध अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से अधिकांश परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है विशेष रूप से ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित समूहों ने महिलाओं के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक विकास हो रहा है नियमित बचत, बैंकिंग प्रणाली से जुड़ाव तथा लघु ऋण की सुविधा के कारण महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। वे ऋण लेकर छोट-छोटे काम करने लगी हैं। जैसे पशुपालन, सिलाई, होटल, किराना दुकान, उचित मूल्य दुकान, पापड़, आचार महुआ लड्डू, रागी लड्डू, कोदो-कुटकी कुकीस बनाना, आदि। जिससे न केवल उनमें जागरूकता आई है बल्कि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी हुई हैं। तथा कुछ महिलाओं का समूह है जो बाल विवाह, घरेलू हिंसा, और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सामूहिक आवाज उठा रहीं हैं जिससे परिवार और समुदाय में सम्मान व पहचान में मिला है। समूह से जुड़ी महिलाओं को देखकर बहुत सी महिलाएं भी आगे आई हैं तथा जो समूह अक्रियाशील अवस्था में हैं वह क्रियाशील समूहों को देखकर अब वे भी पुनः जागरूक हो रहे हैं जिससे ना केवल समूह के सदस्यों की आय में वृद्धि हो रही है बल्कि गांव जिले व पूरे देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आ रहा है।

6. निष्कर्ष:- अतः इस शोध के तथ्यों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि ग्रामीण महिलाओं का सशक्त और आत्म-निर्भर बनाने में स्व सहायता समूह महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में जनभागादारी में वृद्धि अवश्य की है दंतवाड़ा जैसे आदिवासी एवं पिछड़े जिले में स्व सहायता समूह और लघु ऋण योजनाएं महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हुई है। इन कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक, आत्म-निर्भरता, बचत की आदत तथा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं में आत्म-विश्वास बढ़ा है। और वे परिवारिक एवं सामाजिक निर्णयों में सक्रिय भागादारी करने लगी हैं। स्व सहायता समूह और लघु ऋण योजनाओं ने महिलाओं को पारंपरिक आजीविका के साथ-साथ छोटे व्यवसायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है जिससे आय में वृद्धि हुई है और जीवन-स्तर में सुधार आया है। इस प्रकार ग्रामीण समुदायों में महिलाओं को सशक्त बनाने और सतत विकास करने के लिए स्व सहायता समूह पहलों का समर्थन और विस्तार आवश्यक है।

7. सन्दर्भ सूची

- रेड्डी एस, सी (2005) स्व सहायता समूह भारत में माइक्रो फाइनेंस का एक आधार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा पृष्ठ संख्या 1-19
- सिंह कुशल व गौतम (2007) (ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्व सहायता समूह योजना का महत्व अध्याय -6
- एम श्रीवास्तव, मुहम्मद युनुस का योगदान, योजना 2018 पेज 18
- लोकेश (2009) ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्व सहायता समूह योजना का महत्व अध्याय-6
- चौधरी (2010) सशक्तिकरण एवं स्व सहायता समूह की अवधारणा व स्व सहायता समूहों प्रभाव अध्याय-3
- शर्मा सुभाष (2010) महिला "सशक्तिकरण एवं समग्र विकास" ए.डी.बी. पब्लिसर्स, जयपुर 2010, पृ.क्र - 34.

- मंसूरी, बी. बी. (2010). माइक्रो फाइनेंसिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू ए केस स्टडी ऑफ बैंक लिंकज प्रोग्राम ऑफ नाबार्ड. | चत्रठंड, श्री कृष्णा इंटरनेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन कंसॉर्शियम, 1, 141-150।
- जैन एस (2011) महिलाओं के विकास में स्व सहायता समूहों की भूमिका बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में पृष्ठ 280-295
- मथाली एस.और विजयरानी, के (2012) तमिलनाडू के कुड्डालोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस और महिला सशक्तिकरण "भारत में भाषा आज के लिए ताकत और कल के लिए उज्ज्वल आशा, खंड 12 पृष्ठ संख्या 174-182
- शर्मा डी."शांति मैत्री मिशन संस्थान मरूस्थलीय ग्रामीण विकास का पुरोधा, कुरूक्षेत्र जुलाई 2013
- यादव चन्द्रभान महिलाओं की सफलता का सशक्त माध्यम स्व सहायता समूह, कुरूक्षेत्र जुलाई 2013
- कुमार, आशीष (2014). वालूम 2, मार्च-जनवरी, 2014 10., सामाजिक उद्यमिता का विकास एक:अन्वेषणात्मक अध्ययन, रिसर्च क्रानिकल, ईसू-3, वाल्यूम 2, मार्च, 2014
- मुक्ता ममता (2014) "भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण" इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक प्रशासन जुलाई- सितम्बर पेज न. 473-488
- मिश्रा आभा (2016) "महिला सशक्तिकरण एवं स्व सहायता समूह: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण (रांची जिले के नामकुन प्रखण्ड के विशेष संदर्भ में)
- सौरभ, समीराम, सशक्त होती ग्रामीण महिलाएं कुरूक्षेत्र, जनवरी 2018 पृष्ठ 12
- डॉ. श्रीवास्तव सुनीता (2020), ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का माध्यम स्वयं सहायता समूह
- सेठी अर्चना' वर्मा ओमप्रकाश (2022) छत्तीसगढ़ में स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का अध्ययन (दुर्ग एवं राजनांदगांव जिला के विशेष संदर्भ में) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ0ग0) खंड 28 (1) 2022
- बिहान: छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विकास भवन, सेक्टर-19 द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग)
- गौतम विनिता (2019) बिलासपुर जिले में महिला स्व सहायता समूह का कार्य निष्पादन (पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ0ग0)
- आर्या, रिंकी (2021), महिला सशक्तिकरण में स्व सहायता समूहों की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, राधा कमल मुकर्जी: चिन्तन परम्परा 23 (अंक1) पृ 144-15
- सोनी ज्योतिमा (2022) स्व-सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण: p.p 0973.8541 2024
- अनिता (2023), स्व-सहायता समूह द्वारा राजस्थान के दांगरपुर जिले का एक अध्ययन,p.0975.735.
- कुमार, वी. (2023). वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इश्यूज, चैलेंजेस एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव इन इंडियारू ए स्टडी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन हिमाचल प्रदेश. जर्नल ऑफ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 11(3), 52-59.
- खान अफशां (2024) ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक ,सामाजिक विकास में महिला स्व-सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन:(भोपाल जिले के विशेष संदर्भ में) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल (म.प्र)
- कात्यायनी, जे., और चैतन्य, सी. (2024). अनवीलिंग द मोटिवेशनल फोर्सेस बिहाइंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन आंध्र प्रदेशरू फोकस ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाइब्रेरी ऑफ प्रोग्रेस, 623.
- पटेल सीमा डॉ.(2024) भारतीय ग्रामीण विकास में स्व-सहायता समूह का योगदान-एक अध्ययन (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)
- रावत एवं जोशी(2024) पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व एवं उनकी राजनीतिक क्षमता का अध्ययन, राधा कमल मुकर्जी: परम्परा वर्ष 26 (अंक 1) पृ 50-55